खादी केवल वस्त्र नहीं, आत्मनिर्भर भारत का विचार : अर्जुनराम मेघवाल

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने ग्रामोद्योग विकास योजना के मशीन टूलकिट वितरण कर खादी कार्मिकों से संवाद किया।

- ग्रामोद्योग विकास योजना के मशीन टूल किट वितरण एवं खादी संवाद कार्यक्रम आयोजित
- मेघवाल ने आव्हान किया कि दीपावली के मद्देनजर प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी के प्रोत्साहन का संकल्प लें और कम से पांच व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करें

बीकानेर, (कासं)। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत मशीन टूल किट वितरण एवं खादी संवाद कार्यक्रम 'खादी महोत्सव-2025' का आयोजन सोमवार को डागा पैलेस में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल थे। उन्होंने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं आत्मनिर्भर भारत का विचार है। आजादी तक हम स्वदेशी उत्पादों को पूर्णतया प्रोत्साहित करते थे। धीरे-धीरे इसमें बदलाव आया। लेकिन आज तेजी से स्वदेशी का जमाना लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी के विषय को तेजी से आगे बढ़ाया है।

मेघवाल ने कहा कि आज रक्षा के क्षेत्र में भारत में बने उपकरणों की गूंज है। एक दौर था जब हमें रक्षा उपकरण दुनियां के अन्य देशों से मंगवाने पड़ते थे। आज दुनियां ने हमारी रक्षा शक्ति का लोहा माना है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक है। केन्द्रीय मंत्री ने आव्हान किया कि दीपावली के मद्देनजर प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी के प्रोत्साहन का संकल्प लें और कम से पांच व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करें।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश का नेतृत्व संभालने के बाद खादी को भरपूर प्रोत्साहन मिला है। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत टूल किट प्राप्त करने वाले लाभार्थी नई तकनीकों को अपना कर आत्मनिर्भर बनेंगे तथा देश के विकास में भागीदारी निभायेंगे। उन्होंने कहा कि वंचित पात्र जनों को आने वाले समय में टूल किट वितरित किए जाएं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि महोत्सव के दौरान 390 कारीगरों को 554 मशीनें और टूल किट वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोग ने गत ग्यारह वर्षों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ग्यारह वर्ष 33 हजार करोड़ रूपए के खादी उत्पादों का विक्रय प्रतिवर्ष होता था। आज यह आंकड़ा 1 लाख 70 हजार करोड़ को पार कर गया है।

मनोज कुमार ने कहा कि इस दौरान उत्पादन में भी आमूलचूल बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्रत्येक कतिन, बुनकर और स्वदेशी को प्रोत्साहित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। उन्होंने बताया कि मशीनें और टूलकिट प्राप्त करने वाले सभी कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

आयोग अध्यक्ष ने आमजन से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आव्हान किया, जिससे आर्टिजंस को और अधिक मजबूत किया जा सके। श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग भारत की पहचान रही है। युग में बदलाव के साथ इसमें भी परिवर्तन आया। हमारी धरोहर को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान सुमन छाजेड़, श्याम पंचारिया, खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक राहुल मिश्रा, खादी ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल सिंह, मंडलीय कार्यालय के सहायक निदेशक जयकुमार, संभाग अधिकारी रविन्द्र प्रसाद व्यास सहित कई लोग मौजूद थे।

पुष्करणा सामूहिक सावा 10 फरवरी को

बीकानेर, (कासं)। पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह (सावा) मितव्ययता और सामाजिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। पहले चार साल और अब दो साल में आयोजित होने वाला यह अनोखा आयोजन अब 10 फरवरी 2026 को होगा।

इस दिन प्रदेश और देशभर से पुष्करणा समाज के परिवार बीकानेर पहुंचकर अपने लड़के-लड़कियों के विवाह करायेंगे। परंपरानुसार दशहरा के दिन सावा की तिथि तय होते ही सगाई, भवन और टैंट बुकिंग का क्रम शुरू हो चुका है। आयोजन वाले दिन पूरा परकोटा विवाह समारोह की छत बनेगा और शहरवासी बाराती।

ज्योतिषाचार्य पंडित ओझा के अनुसार सामान्य शादियों में मुहूर्त वर-वधु के नाम पर निकाला जाता है। लेकिन सावे में सैकड़ों विवाह एक साथ होते हैं। इसलिए विवाह का मुहूर्त भगवान शिव-पार्वती के नाम पर ही निर्धारित होता है। सावे की खासियत यह है कि कई परिवार बीकानेर पहुंचकर विवाह के ऐन वक्त सगाई करते हैं और उसी दिन विवाह संपन्न कराते हैं। इतिहासकार बृजेश्वर लाल व्यास के अनुसार बीकानेर में 65 वर्षों में 22 बार पुष्करणा सावा हुआ है। सबसे अधिक आयोजन फरवरी में हुए हैं। 10 फरवरी को तीसरी बार सावा होगा। इससे पहले 1969 और 2017 में इसी तिथि पर आयोजन हुआ था।

प्रशासन की गोचर विरोधी नीति पर आक्रोश

बीकानेर, (कासं)। उदयरामसर स्थित मुरली मनोहर धोरा में गोचर ओरण बचाओ महाआंदोलन के बैनर तले हुई महत्वपूर्ण बैठक में बीकानेर विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की गोचर भूमि विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया।

पिछले एक महीने से चल रहे इस आक्रोषपूर्ण आंदोलन का मूल कारण बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा नए मास्टर प्लान में बेशर्मी से शरह नथानियां, गंगाशहर, भीनासर, उदयरामसर व 188 गांवों की अमूल्य गोचर भूमि को आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग में लेने की साजिश है। बैठक में उपस्थित समस्त गो भक्तों ने प्रशासन द्वारा हाल ही में बीकानेर शहर की गोचर भूमि के खसरों को अराजीराज करने की अवैध और शर्मनाक प्रक्रिया पर कड़ा विरोध व्यक्त किया। वक्ताओं ने प्रशासन के इस कदम को गोवंश के भविष्य पर सीधा हमला और धर्म-विरोधी कृत्य बताया। यह स्पष्ट है कि प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते जनता का गुस्सा चरम पर है। गो भक्तों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या भू-उपयोग परिवर्तन किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। बैठक में पदाधिकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए आगामी दिनों में इस महाआंदोलन को उग्र करने को कहा।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10.10.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 21 में भूखण्ड संख्या का माप 87 गुणा 65'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती गुरमीतो पत्नी श्री गुरमीत चन्द निवासी निवासी फूलपुर पजांब द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती गुरमीतो पत्नी श्री गुरमीत चन्द निवासी निवासी फूलपुर पजांब द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 21 में भूखण्ड संख्या का माप 87 गुणा 65'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होनी पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
Rajkaj Ref. No. 18244208 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 13.10.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 1303 Sp Feet फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री सुरेंदर कुमार मेहता पुत्र श्री ओम प्रकाश मेहता निवासी जी.ओ. आई प्रेस फलैट नं. 200 एस एफ एस राजौरी अपार्टमेंट मायापुरी दक्षिण- पश्चिमी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री सुरेंदर कुमार मेहता पुत्र श्री ओम प्रकाश मेहता निवासी जी.ओ. आई प्रेस फलैट नं. 200 एस एफ एस राजौरी अपार्टमेंट मायापुरी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 1303 Sp फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
Rajkaj Ref. No. 18181964 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

अब वार्ड में बनेगी कचरे से खाद, हटेंगे कचरा पाइंट, बनेगा जीरो वेस्ट

- खाद बनाने के लिए कंपोस्ट पिट के लिए स्थान तय करना, आमजन की समझाइश करना होगा

बीकानेर,(कासं)। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद में अब नगर निगम ने एक वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस वार्ड में आगामी समय में सड़कों पर कचरा नजर नहीं आयेगा। वार्ड में संग्रहित कचरे का निस्तारण वार्ड में ही होगा और कचरे से खाद बनेगी।

कचरा संग्रहण की व्यवस्था और अधिक पुख्ता व प्रभावी बनेगी। घरों में ही कचरे को अलग-अलग संग्रहित करना होगा व कचरे को सड़कों पर न फैंककर ऑटो टिपर में ही डालना होगा। इन कार्यों के लिए निगम ने अपने दल को वार्ड क्षेत्र में लगा दिया है। संभावना है मार्च 2026 तक वार्ड संख्या 12 शहर का पहला आदर्श वार्ड घोषित हो जाए। निगम आयुक्त मयंक मनीष के अनुसार वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे है। अब तक वार्ड क्षेत्र के 50 से 60 प्रतिशत घरों का कचरा सड़कों पर न फैंक कर ऑटो टिपर में ही डाला जा रहा है। अधिकतर घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए डस्टबिन लग चुके हैं। सड़कों पर कचरे की मात्रा कम होनी शुरू हो गई है। दल सदस्यों की ओर से घर-घर समझाइश की जा रही है।

निगम कुछ समय से वार्ड 12 को जीरो वेस्ट बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। अब तक घरों में केवल दो ही प्रकार के डस्टबिन लग पाये हैं। चार प्रकार के डस्टबिन दिखाई नहीं दिए है। ऑटो टिपर में चार प्रकार के कचरे के लिए कंपार्टमेंट की व्यवस्था की हुई है, लेकिन दो कंपार्टमेंट खाली ही रह रहे है। वार्ड संख्या 12 में घरों, पार्कों, सड़कों, बाजारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे के वार्ड में ही निस्तारण के लिए कंपोस्ट पिट बनाए जायेंगे। कंपोस्ट पिट में कचरे से खाद बनाई जायेगी। रि-साइकिल कचरे को अलग किया जायेगा। नगर निगम वार्ड 12 को आदर्श वार्ड बनाने की कवायद में जुटा हुआ है।

इस कार्य में निगम के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं है। चार प्रकार के कचरे को अलग-अलग घरों में ही संग्रहित करवाना और कचरे को अलग-अलग ऑटो टिपर में डलवाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सड़कों पर कचरा डालने की आदत को भी सुधारने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। खाद बनाने के लिए कंपोस्ट पिट के लिए स्थान को तय करना, लम्बे समय तक आमजन की समझाइश करना, सतत रूप से दल की निगरानी आदि कार्य में निरन्तरता जरूरी होगी।

खादी ग्रामोद्योग भवन का उद्घाटन

बीकानेर, (कासं)। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सोमवार को रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्रीय समग्र लोक विकास संघ के खादी ग्रामोद्योग भवन का उद्घाटन किया। इस भंडार के नवीनीकरण के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजना के अनुसार 15 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में संकल्प को साकार करने में खादी और खादी से जुड़े कामगारों, कारीगरों और व्यवसायियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खादी का काम बढ़ने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक परिवारों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक देशवासी को चाहिए कि वे खादी को मजबूत करें तथा कम से कम खादी का एक उत्पाद जरूर खरीदें। उन्होंने स्वदेशी के प्रोत्साहन का संदेश दिया तथा स्वयं भी खादी की जैकेट खरीदी।

नयाशहर लूटकांड का खुलासा, चार गिरफ्तार

- दो आरोपी अब भी फरार, पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों से किया खुलासा

बीकानेर, (कासं)। नया शहर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना अधिकारी कविता पूनिया के नेतृत्व में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि दो अब भी फरार हैं।

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूट की रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी और सीओ सिटी श्रवणदास संत के सुपरविजन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने वारदात स्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही मुखबिरों की सूचना पर संदिग्धों को चिन्हित किया। थाना अधिकारी कविता पूनिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए साजिद मुगलपुत्र मुश्ताक मुगल, निवासी रामपुरा बस्ती गली नंबर 2, साहिल पुत्र अय्यूब कायमखानी, निवासी सेखों का मोहल्ला, मोहम्मद अल्ताफ पुत्र मोहम्मद असलम और समीर पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी यूनिक स्कूल के पास, रोशनी घर चौराहा को गिरफ्तार किया है। चारों से पूछताछ जारी है और पुलिस बाकी दो फरार युवकों की तलाश कर रही है। परिवादी हर्ष विजय निवासी स्टेशन रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर की रात करीब पौने नौ बजे जब वह कोठारी अस्पताल के पास पहुंचा, तभी पीछे से आये बाइक सवार युवकों ने उस पर हमला कर आंखों में मिर्ची झोंक दी और बैग छीनने का प्रयास किया। झड़प के दौरान बैग फट गया और आरोपी उसमें रखे 2 लाख 81 हजार 345 रूपए लेकर फरार हो गए। परिवादी के अनुसार बाइक सवारों के साथ एक कार भी थी, जिससे वह घबरा गया और मौके से भाग निकला।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2025/RajKaj Ref No.: 18091052 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 12-10-2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 18/19 के किला नं. 18 में भूखण्ड संख्या का माप 20''गुणा 45'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्रीमती हरभजन कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह निवासी मकान नं. 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती हरभजन कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह निवासी मकान नं. 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 18/19 के किला नं. 18 में भूखण्ड संख्या का माप 20''गुणा 45'' फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 18091052 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियोजन/2025/18243067 दिनांक : 12.10.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 33 किला नं. 21 के भूखण्ड संख्या एस-03 क्षेत्रफल 25'-0"×85'-0" फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 26644 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुरलीधर होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री हेमन्त सिंगल पुत्र श्री श्याम लाल सिंगल निवासी आरडी-08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव-1, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रस्तगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि)/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों की तालिका सं. 10 के अनुसार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। मास्टर प्लान 2017-35 एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार मिश्रित भू उपयोग में वाणिज्यिक भू उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान। जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (पर्मिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियोजन/2025/18243168 दिनांक : 12.10.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 किला नं. 3 के भूखण्ड संख्या बी-02 क्षेत्रफल 20'-0"× 85'-0" फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 25137 दिनांक 15.03.2024 द्वारा मैसर्स मुरलीधर होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री हेमन्त सिंगल पुत्र श्री श्याम लाल सिंगल निवासी आरडी-08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव , चक 2 एमएल, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रस्तगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि) / 2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों की तालिका सं. 10 के अनुसार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। मास्टर प्लान 2017-35 एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार मिश्रित भू उपयोग में वाणिज्यिक भू उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान। जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (पर्मिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियोजन/2025/18235239 दिनांक : 12.10.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 किला नं. 3 के भूखण्ड संख्या बी-01 क्षेत्रफल 25'-0"× 85'-0" फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 25135 दिनांक 15.03.2024 द्वारा मैसर्स मुरलीधर होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री हेमन्त सिंगल पुत्र श्री श्याम लाल सिंगल निवासी आरडी-08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव। चक 2 एमएल, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रस्तगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि) / 2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों की तालिका सं. 10 के अनुसार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। मास्टर प्लान 2017-35 एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार मिश्रित भू उपयोग में वाणिज्यिक भू उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान। जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (पर्मिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियोजन/2025/18235509 दिनांक : 12.10.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 33 किला नं. 21 के भूखण्ड संख्या एस-02 क्षेत्रफल 25'-0"×85'-0" फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 26646 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुरलीधर होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री हेमन्त सिंगल पुत्र श्री श्याम लाल सिंगल निवासी आरडी-08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव-1, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रस्तगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि) / 2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों की तालिका सं. 10 के अनुसार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। मास्टर प्लान 2017-35 एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार मिश्रित भू उपयोग में वाणिज्यिक भू उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान। जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (पर्मिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियोजन/2025/18235509 दिनांक : 12.10.2025
विज्ञप्ति
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 33 किला नं. 21 के भूखण्ड संख्या एस-02 क्षेत्रफल 25'-0"×85'-0" फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 26646 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुरलीधर होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री हेमन्त सिंगल पुत्र श्री श्याम लाल सिंगल निवासी आरडी-08, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव-1, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से